न्यायालय–समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया।
(जिला विधि शाखा)

अनुसूची–14 फारम सं0 162

आदेश फलक
(आदेश फलक का विषय 129)

1	2	3
	वाद संख्या–सी.आर.एम.–11/09–10 राम प्रसाद राम बनाम राज्य सरकार आदेश यह अपील वाद अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी, बगहा के द्वारा वाद संख्या 1/2009 में अपीलार्थी राम प्रसाद राम पिता–श्री मिश्री राम, मो0 सुजनही टोला, डुमरी भगरवा, थाना–पिपरासी, जिला–पश्चिम चम्पारण के अनुज्ञप्ति संख्या– 20/2007 को रद्द किया गया, के विरूद्ध दायर किया गया है। अपीलार्थ का कथन है कि उनके जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति संख्या 12.01.2009 निलंबित था, दिनांक 10.07. 2009 को अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के प्रस्तुत प्रतिवेदन के आलोक में उनके अनुज्ञप्ति को निलंबित किया गया तथा उनसे स्पष्टीकरण की मांग किया गया है। उनके विरूद्ध आरोप था कि कि पंजी में दर्ज मात्रा से कम मात्रा गेहूँ एवं चावल का वितरण उनके द्वारा किया गया। निर्धारित दर से अधिक राशि लेकर राशन का वितरण किया गया। अपीलार्थ ने अनुमण्डल पदाधिकारी को समर्पित कारण–पृच्छा लगभग 200 लोगों का अंगूठा के निशान के साथ दिया गया। लेकिन अनुमण्डल पदाधिकारी उनसे संतुष्ट नहीं होकर अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया। निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के सभी प्रस्तुत कागजात का अध्ययन किया गया। निम्न न्यायालय के न्यायादेश के अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुमण्डल	

7.12.12 (handwritten, column 1)

पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा दायर किये गये कारण पृच्छा पर विचार करते हुए आदेश पारित किया गया है। अपील के सुनवाई के क्रम में अपीलार्थी के द्वारा खाद्यान्न का स्टॉक पंजी, खाद्यान्न का वितरण पंजी, किरासन तेल का स्टॉक पंजी, किरासन तेल का वितरण पंजी जमा किया गया। प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा के द्वारा जांच किया गया। उनका जांच प्रतिवेदन अभिलेख में संलग्न है। प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा के द्वारा कागजातों की स्थलीय जांच नहीं किया गया। अतएव यह महसूस किया गया कि जन वितरण प्रणाली के प्रस्तुत किए गए सभी पंजियों की स्थलीय जांच एवं सत्यापन की आवश्यकता है।

अतः वाद की अभिलेख के सभी कागजातों के सम्यक् विचारोपरान्त अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी को रिमाण्ड करते हुए निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत किए गए सभी कागजातों का स्थलीय जांच करें एवं स्थलीय जांच के संबंध में अपीलार्थी को सूचित करे, उनके उपस्थित में स्थल जांच करते हुए, इस वाद में सुस्पष्ट आदेश दो माह के अंदर पारित करना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी, बगहा को भेजें।

समाहर्त्ता,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।